न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 73/2022

जी.सी.एस.एस. नं. : 2022/131

बलविन्द्र कुमार　　बनाम　　सतवीर कुमार आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,92ए,53,209 राज. काश्त. अधि.

उपस्थिति :—

1. श्री नवीन कुमार मिढ्ढा, अधिवक्ता प्रार्थी(प्रतिवादी सं. 2)
2. श्री प्रेम कुमार चुघ, अधिवक्ता अप्रार्थी(वादी)

—:: आदेश प्रार्थना पत्र ::—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी

दिनांक : 30.06.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि —

1. प्रतिवादी सं. 2 जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में अभिवचन किया है कि विवादित भूमि प्रतिवादी सरोज देवी, मुकेश कुमार, रोहित वर्मा के नाम से दर्ज रिकार्ड है, जो पूर्व में प्रतिवादी बुधराम के नाम से दर्ज थी जो वादी के दादा है। वादी द्वारा पैरा सं. 6 में अंकित किया है कि प्रतिवादीगण ने 2021 में जरिए दान पत्र भूमि प्रवितादीगण के नाम से दर्ज करवा दी है। वादी द्वारा समस्त भूमि में 1/4 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। भूमि प्रतिवादी सं. 2 बुधराम को आवंटित हुई थी जो उसकी स्वःअर्जित भूमि है। प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा अपनी पंजीकृत उपहार पत्र द्वारा प्रतिवादी सं. 3,4,5 को अन्तरित कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। वादी प्रतिवादी सं. 2 की स्वअर्जित सम्पत्ति में से प्रतिवादी सं. 2 के जीवनकाल में किसी प्रकार से हक व हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है। वादी को अपने दादा के जीवनकाल में उसके विरूद्ध हस्तगत वाद प्रस्तुत कर अपना हक व हिस्सा घोषित करवाने बाबत कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है। पंजीकृत दस्तावेज की वैधता एवं उसके रद्दकरण का अधिकार क्षेत्र दीवानी न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र वाद कारण के अभाव में एवं विधि द्वारा बाधित होने के फलस्वरूप खारिज करने हेतु निवेदन किया।
2. वादी जरिए अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि समस्त तथ्य साक्ष्य आने के बाद ही निर्धारित होंगे जो कि विधि एवं तथ्य के मिश्रित प्रश्न है जिनका निर्धारण विधिवत् तनकीयात कायम कर साक्ष्य ली जाकर ही किया जा सकता है। ऐसे दस्तावेज जो प्रारम्भतः ही शून्य दस्तावेज है को किसी प्रकार निरस्त करवाने की आवश्यक्ता नहीं होती है बल्कि प्रारम्भ से शून्य दस्तावेज मानते हुए घोषणा का वाद न्यायालय के द्वारा सुना जाने की अधिकारिता प्राप्त है। वाद का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए एवं न्यायायल को आ.7नि.11 सीपीसी के आधार पर वाद को खारिज करने से परहेज करना चाहिए चूंकि वाद में अर्न्तवलित प्रश्न विधि एवं तथ्य के मिश्रित प्रश्न होते है जिनका निर्धारण विधिवत तनकी कायम की जाकर साक्ष्य आने पर मेरिट पर ही किया जा सकता है। आ.7नि.11 सीपीसी में मात्र वाद की प्लीडिंग को ही पढा जाना होता है न कि अन्य साक्ष्य को देखा जाना होता है, प्रार्थी ने साक्ष्य को [illegible] तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। बुधराम के द्वारा स्वैच्छा से उक[illegible] भूमि को जद्दी जायदाद मानते हुए बंटवारा किया हुआ [illegible] व भूमि बांटकर दे रखी है जिस पर वादी साधिकार [illegible] पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. खारिज करने हेतु निवेदन किया।
3. बहस वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर सु[illegible] गयी। वकील उभयपक्ष [illegible] बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 कथन किया कि भूमि वादी के दादा प्रतिवादी सं. 2 बुधराम को आवंटित उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति है। जिसको पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा बुधराम ने प्रतिवादी सं. 3,4,5 को जरिए पंजीकृत उपहार पत्र हस्तांतरित कर दिया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी प्रतिवादी के जीवन काल में किसी प्रकार का हक एवं हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। भूमि जरिए पंजीकृत

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:44:32 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेज हस्तांतरित हुई है जिसे शून्य व अवैध घोषित करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है। वादी को वादकारण प्राप्त नहीं है तथा वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है। खारिज करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता वादी कथन किया कि आ. 7नि.11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय केवल अभिवचनों का ही अवलोकन करना होता है दस्तावेज साक्ष्यों का अवलोकन नहीं करना है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र दस्तावेंजो/साक्ष्यों के तथ्य उठाये गये है जिन पर तनकीयात कायम कर साक्ष्य उपरान्त गुणावगुण पर निर्णय होना है। तथ्य एवं विधि के मिश्रित प्रश्न है जिनका इस स्तर पर निर्णय नहीं किया जा सकता है। भूमि वादी के दादा को संयुक्त हिन्दू परिवार के मुखिया होने के कारण आवंटित हुई थी जो भूमि की संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है। जिसमें वादी के पिता का 1/4 हिस्सा तथा वादी का वादी के पिता के 1/4 हिस्से का 1/3 हिस्सा निहित है। वादी के दादा को भूमि अन्यत्र हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं था। दस्तावेज प्रारम्भ से शून्य है। जिस पर सुनवाई का अधिकार न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा तर्क दिया गया है कि आ.7नि.11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय केवल अभिवचनों का ही अवलोकन करना होता है दस्तावेज साक्ष्यों का अवलोकन नहीं करना है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आ.7नि.11 के साथ साथ धारा 151 सीपीसी के तहत भी प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय की राय में धारा 151 सीपीसी में विहित प्रावधानों के तहत हस्तगत प्रकरण में न्यायपूर्ण निर्णय हेतु दस्तावेजों पर मनन किया जाना आवश्यक है। अतः न्यायालय धारा 151 सीपीसी के तहत अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकरण के निस्तारण हेतु अभिवचनों के साथ साथ दस्तावेजों को भी मनन के लिए ग्रहण करता है। वादी द्वारा विवादित भूमि को जद्दी जायदाद अंकित करते हुए भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गयी है। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा कथन किया गया है कि भूमि प्रतिवादी को आवंटित हुई थी जो प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पत्ति है तथा प्रतिवादी द्वारा जरिए पंजीकृत उपहार पत्र प्रतिवादी सं. 3,4,5 को हस्तांतरित कर दी गई है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रवितादी द्वारा आवंटन आदेश एवं सनद की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है। जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया ही विवादित भूमि प्रतिवादी सं. 2 की स्वअर्जित सम्पत्ति प्रतीत होती है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी एव उपहार पत्रों की प्रतियों का अवलोकन किया जिस अनुसार प्रतिवादी सं. 2 द्वारा भूमि प्रतिवादी सं. 3,4,5 को हस्तांतरित कर दी है जिसके आधार पर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। उपहार पत्र पंजीकृत दस्तावेज है। जिसे अवैध अथवा प्रभावशून्य घोषित करने का अधिकार इस न्यायलाय को नहीं है। वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में भूमि घरू बंटावारानामा में प्राप्त होने का कथन किया गया है और जवाब के साथ छायाप्रति घरू बंटवारानामा पेश किया है जो कि एक अपंजीकृत दस्तावेज हैं तथा किसी सक्षम स्तर अथवा नोटरी से प्रमाणित भी नहीं है जिसकी प्रमाणिकता प्रथम दृष्टया ही संदेहास्पद है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी सहदायिकी में विरास्तन भूमि में हिस्सा प्राप्त किया जा सकता है परन्तु प्रतिवादी सं. 2 की स्वअर्जित सम्पत्ति में से वादी प्रतिवादी सं. 2 के जीवनकाल में हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद विधि द्वारा वर्जित है तथा वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद लाने का वाद हेतुक प्राप्त नहीं है। वाद पत्र खारिज होने योग्य है।

आदेश

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 2 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 30.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:44:32 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाइ
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर
बईजलास शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 73/2022
जी.सी.एस.एस. नं. : 2022/131

बलविन्द्र कुमार बनाम सतवीर कुमार आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,92ए,53,209 राज.काश्त.अधि.

दिनांक :30.06.2025

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार चुघ तथा प्रतिवादी सं. 2,3,4,6 की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन मिढढा की उपस्थिति में वाद के आज अन्तिम निपटारे हेतु पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

"प्रतिवादी सं. 2 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।"

डिक्री आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प डयूटी	2	7.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		8.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प..... रूपये पर प्लीडर की फीस		9.प्लीडर की फीस	
4.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		10.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	
5.कमिश्नर की फीस		11.आदेशिका की तामील	
6.आदेशिका की तामील		12-कमिश्नर की फीस	
जोड़	2/-	जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:44:32 IST
Reason: SelfAttested